HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13991/2025

Someshwar S/o Shri Kanta Prasad, Aged About 45 Years, R/o Garh Mandora, Police Station Masalpur, District Karauli (Rajasthan) (Accused Petitioner Presently Confined In District Jail Karauli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dushyant Gour
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **सोमेश्वर** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **14.10.2025** के विरूद्ध यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा **483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **मासलपुर, जिला करौली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**182/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **8/21, 8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** में नियमित जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.10.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ 8.30 ग्राम स्मैक होना बताया गया है, जो बरामदगी गैर वाणिज्यिक मात्रा की रही है, अतः प्रार्थी के विरूद्ध धारा 37 एन.डी.पी.एस. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। प्रकरण के

अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों, वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.10.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ 8.30 ग्राम स्मैक होना बताया गया है, जो बरामदगी गैर वाणिज्यिक मात्रा की रही है, अतः प्रार्थी के विरूद्ध धारा 37 एन.डी.पी.एस. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गये तर्कों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी **सोमेश्वर पुत्र श्री कान्ता प्रसाद** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /194